

604

37

उ०प्र० शासन  
महिला एवं बाल विकास अभाग  
संख्या-783/60-3-10 2(11)/2011  
लखनऊ: दिनांक: 27 जून 2011

कार्यालय-शासन

अधोहरताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा बलात्कार से पीड़ित महिलाओं ( विक्टिम आफ रेप ) को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में भारत सरकार की कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु "District Criminal Injuries Relief and Rehabilitation Board " का गठन किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | जिलाधिकारी ।   | अध्यक्ष      |
| 2. | पुलिस अधीक्षक ।  | सदस्य        |
| 3. | मुख्य चिकित्साधिकारी ।   | सदस्य        |
| 4. | मुख्य कोषाधिकारी ।   | सदस्य        |
| 5. | परिष्ठा लोक अभियोजक ।  | सदस्य        |
| 6. | मुख्य शासकीय अधिवक्ता (कि.मि.)   | संयोजक सदस्य |
| 7. | जिला प्रोवेशन अधिकारी ।  | सदस्य        |
| 8. | एक प्रतिनिधि स्वीच्छक संस्था से तथा पीड़ित महिला यदि नाबालिग है तब बाल कल्याण समिति से। ( जिलाधिकारी की संरक्षित के अनुसार ) | सदस्य        |
| 9. | अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ।  |              |
| 2- | बोर्ड का कार्यकाल आदेश निर्गत करने की तिथि से तीन वर्ष होगा।   |              |

1077

D.P.O  
10-7-11

(बलविन्दर कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-783(1)/60-3-11, तददिनांक।

जिलाधिकारी  
लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-  
समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।  
समस्त जिला प्रोवेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।  
बोर्ड के समस्त सदस्यगण।  
निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।  
गार्ड फाइल।

2017/11/11

आज्ञा से,  
(डा० प्रमोद मिश्रा)  
उप सचिव।